आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
28-12-2023	**वाद सं0—62 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से पुष्पा उरांव एवं अन्य (कुल—15), मुन्दो आजिविका महिला ग्राम संगठन, ग्राम—मुन्दो, पो0—इरगांव, प्र0+थाना—लोहरदगा, जिला—लोहरदगा आयोग कार्यालय में उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, कैरो आयोग कार्यालय में उपस्थित। आयोग के पिछले आदेश के आलोक में शिकायतकर्ताओं की ओर से एक लिखित प्रतिवेदन भी समर्पित किया गया है। आयोग के पिछले आदेश के आलोक में शिकायतकर्ता का समूह राशन कार्ड लेकर आयोग में उपस्थित हुए हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उन्हें माह मार्च, सितम्बर एवं दिसम्बर 2022 का राशन नहीं मिला है। आयोग में उपलब्ध कराए गए सभी राशन कार्ड की जांच हेतु आयोग के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, श्री विनोद कुमार वर्मा को निदेशित किया गया है कि वे जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिनिधि के तौर पर आयोग में उपस्थित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के समक्ष सभी राशन कार्ड की जांच करेंगे कि उपरोक्त तीनों माह में राशन उठाव कार्ड में अंकित है या नहीं ? यदि उपरोक्त माह की entry नहीं है तो जिन राशन कार्ड में उस माह की entry नहीं है उन राशन कार्डधारियों को जिला आपूर्ति पदाधिकारी उन माह का बकाया राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, जिन माह का राशन नहीं दिये जाने की बात शिकातकर्ता कर रहे हैं। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को ये भी निदेश देता है कि जिन शिकायतकर्ताओं के राशन कार्ड में उपरोक्त तीन माह की entry नहीं है उन तीन माह का बकाया राशन उपलब्ध करा दिये जाने का प्रमाण अगली सुनवाई में आयोग में पेश करेंगे। अगली सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लोहरदगा स्वयं सशीर उपस्थित रहेंगे। मामले की अगली सुनवाई दिनांक—11.01.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक—11.01.2024 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

D:\Premlata\Court.docx52